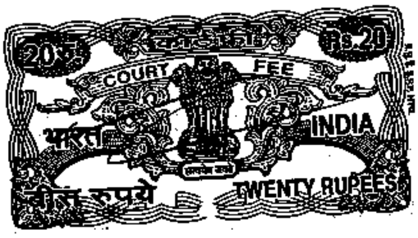

<u>माननीय न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.</u>

निगरानी 139-II-15

प्रभु पिता हुकलाजी भुरिया भील, उम्र 60 वर्ष,

धंधा खेती नि.ग्रा. नाहरपुरा तेह. रावटी जि. रतलाम —**प्रार्थी**

विरूद्ध

नानुराम पिता कालुजी भुरिया भील उम्र 35 वर्ष,

धंधा खेती निकृग्रा. नाहरपुरा तेह. रावटी जि. रतलाम —**प्रतिप्रार्थी**

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राज.संहिता</u>

क्रमांक 4317
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ______ को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>मान्यवर महोदय,</u>

प्रार्थी वि.अधि.न्याया. श्रीमान तेहसीलदार महोदय, तेहसील रावटी जिला रतलाम द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 6/अ–70/2013–2014 में पारित आदेश दिनांक 18.10.14 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न आधारो के अतिरिक्त अन्य आधारो पर प्रस्तुत करता हैं :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 139–II / 15 जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–5–2016	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई भी उपस्थित नहीं । आवेदक के अभिभाषक पूर्व पेशी दिनांक 21–1–2016 को उपस्थित हुए हैं, उसके पश्चात आज दिनांक तक आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ हैं, और न ही उसके द्वारा प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं ली जा रही है । 2/ आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, रावटी जिला रतलाम के अंतरिम आदेश दिनांक 18–10–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार के अंतरिम आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के अंतरिम आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अनावेदक द्वारा म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 35 (3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रकरण जवाब हेतु नियत किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । चूंकि तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	